अपील जमानत प्रकरण सं0 11/2018(RCMS 2018/00123) अनवानी लखवीर सिंह उर्फ मंगू सिंह पुत्र श्री बिल्ला सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा पुलिस थाना सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए लोक अभियोजक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.07.2018

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गौपालू सिंह राठौड को बार–बार आवाज लगाई गई तो वे स्वयं या उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं आया है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पुलिस थाना, सादुलशहर मे दिनांक 14.03.2018 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के समक्ष अपीलार्थी लखवीर सिंह उर्फ मंगू सिंह पुत्र बिल्ला सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी गदरखेडा तहसील व पुलिस थाना सादुलशहर को दिनांक 14.03.2018 को 4:35 ए.एम. पर जरिए टेलीफोन सूचना मिलने पर कि गर्ल्स कॉलेज के सामने एक व्यक्ति लडाई झगड़ा कर रहा है जो विराट टेलर दुकान के मालिक श्री सुनील कुमार से बिना किस कारण लडाई झगड़ा कर रहा है, जिस पर पुलिस पार्टी रवाना होकर मौके पर पहुंची, वहा पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, जिसमें एक शख्स खड़ा होकर जोर–जोर से कह रहा था कि मैं आज सबक सिखाकर रहूंगा। इस पर तसल्ली से ए.एस.आई. ने नाम पूछा तो उसने अपना नाम मंगू सिंह पुत्र बिल्ला सिंह जाति जटसिख उम्र 29 वर्ष निवासी गदरखेडा तहसील व पुलिस थाना सादुलशहर बताया, जो समझाईश के बावजूद भी मरने मारने को उतारू था, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और प्रार्थना की गई कि गैर सायल को पूर्व में दिनांक 07.03.2018 को नुक्से अमन के खतरा में विरूद्ध गैरसायल इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116(3), 151 सीआरपीसी पेश कर उसे पाबन्द करवाया गया है। लेकिन अपीलार्थी/गैरसायल लखवीर सिंह ने पुनः पाबन्दी के बावजूद नियमों की अवहेलना की है। इसलिए इस्तगासा अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 107, 116(3), 151, 122 सीआरपीसी के तहत गैर सायल लखवीर सिंह उर्फ मंगू सिंह के विरूद्ध कानूनी सलूक फरमाया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा दिनांक 14.03.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया :

> पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को धारा 122 सीआरपीसी में पेश किया गया। पूर्व में दिनांक 07.03.2018 को पाबन्द किया गया था। अतः धारा 122 सीआरपीसी में जे/सी वारंट जारी किया गया। पत्रावली आगामी दिनांक 22.03.2018 को पेश हो।
>
> -Sd-
> उपखण्ड अधिकारी
> सादुलशहर

उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील जमानत इस न्यायालय में प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 14.03.2018 अनवानी मुकद्दमा सरकार बनाम लखवीर सिंह निरस्त किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थी के अपील पत्र में किस दण्ड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के तहत यह मामला इस न्यायालय में पेश किया है, स्पष्ट नहीं होता है। अपीलार्थी/प्रार्थी ने आदेश दिनांक 14.03.2018 को निरस्त करने की प्रार्थना की है। उक्त आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 122 के तहत कार्यवाही के लिए प्रार्थी को उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है और उनके द्वारा उसे जे/सी वारंट के माध्यम से न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है। उक्त आदेश

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

दण्ड प्रक्रिया की धारा 122 से सम्बन्धित प्रतीत होता है और ऐसे मामलो में इस न्यायालय को कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और न ही अपने अपील पत्र में अपीलार्थी ने कोई क्षेत्राधिकार स्पष्ट किया है। इसलिए उसके द्वारा अपील के रूप में प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पत्र, क्षेत्राधिकार में न होने के कारण सुनवाई हेतु ग्रहण योग्य नही है। इसलिए प्रार्थी का प्रस्तुत उक्त अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर को भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर